an>

Title: Regarding providing tax relief in purchasing of MDR and XDR Machines. h

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक गंभीर विषय शून्यकाल के माध्यम से सदन के सामने ला रहा हूँ। हाल ही में वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइज़ेशन ने यह बताया कि पूरी दुनिया में 90 लाख लोग टीबी से ग्रस्त हैं। गंभीर बात यह है कि उसमें से 23 लाख लोग भारत में हैं। इनमें से हर वर्ष 3 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। हम इसके सुधार के लिए तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसमें प्रति वर्ष 1.3 लाख करोड़ का घाटा होता है क्योंकि 17 करोड़ मनुष्य दिनों की हानि होती है, इतना काम नहीं कर पाते हैं। इनकी दवाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि एक नयी दवा बेडाक्विलिन जो निकली है, वह दवा हम देने का प्रयास कर रहे हैं। यह दवा मिल रही है, लेकिन कम मात्रा में मिल रही है। इसकी जो मशीन है, इसे एमडीआर और एक्सडीआर कहा जाता है। एक और गंभीर रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है, उसमें से चालीस प्रतिशत लोगों को ट्युबरकुलोसिस हुआ होगा, वह लैटेन्ट रूप में है। मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जेनएक्सपर्ट नाम की एक मशीन आती है, हमारे पूरे भारत में सिर्फ 120 मशीन्स हैं। उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मशीन पर टैक्स न लगाया जाए, यह मशीन जल्दी लाई जाए। यह मशीन रैपिड मॉलिक्युलर टेस्ट करती है, जिससे एमडीआर के पेशेंट की जानकारी मिलती है। इसके लिए आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर से टैक्स रिलीज करके लोगों को सहायता दी जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल शेवाले, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।